सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 149 दर्ज तिथिः–07.04.2025

वादी		प्रतिवादी
मिरगोदेवी वगैरह	बनाम	मांगाराम वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी		जरिये अधिवक्ता श्री जोगराज पोटलिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–04
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–15.05.2025

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः–
   - कि हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2024 को उक्त पत्रावली पर सुनवाई की तिथि बहस हेतु नियत की गई। लेकिन दिनांक 27.12.2024 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।
   - उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण को अधिवक्ता द्वारा पेशी पर आने से मना किया गया था। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण प्रार्थी अधिवक्ता निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र पर सीधे बहस करने का अनुरोध किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। साथ ही उक्त जानकारी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दी गई। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे। बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण को अपने वाद के संबंध में जानकारी होते हुए भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—09 नियम—04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई की तिथि की जानकारी नहीं होने को आधार बताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—09 नियम—04 के तहत दिनांक 27.12.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् उक्त प्रार्थना—पत्र दिनांक 02.04.2025 को प्रस्तुत किया है।

4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् पक्षकार के द्वारा अपनाये गये आचरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। दिनांक 27.12.2024 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश—09 नियम—04 वास्ते दिनांक 27.12.2024 को की गई अदम पैरवी को निरस्त करने का दिनांक 02.04.2025 को करीब 93 दिन की लम्बी अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी होने के उपरांत प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना—पत्र करीब 93 दिन की लम्बी अवधि के पश्चात् पेश करना प्रार्थी के लापरवाहीपूर्वक आचरण को स्पष्ट करता है। अब प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई की तिथि के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण का पर्याप्त कारण के संबंध में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् प्रस्तुत पर्याप्त कारण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् पक्षकार का अधिवक्ता ही प्रकरण में पैरवी करते हैं तथा स्वयं पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति को अपरिहार्य नहीं माना जाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के पक्षकार अधिवक्ता के संवाद स्थापित कर अपने न्यायिक प्रकरण की जानकारी अपनी सुविधा अनुसार प्राप्त करते रहते हैं। न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही पर किसी सुनवाई की तिथि पर अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उक्त एकतरफा कार्यवाही की सूचना पक्षकार तक बहुत धीमी या किसी आकस्मिक तरीके से पहुंचती है। किसी न्यायालय में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा पक्षकार को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से न्यायालय से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यहां स्थिति इस प्रकार है कि दावा अभी शुरूआती चरण में है। प्रतिवादी को वादी के दावे के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः वादी के दावा को पुनः सुनवाई पर लेने से प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णीत करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सहमत है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—09 नियम—04 के तहत प्रस्तुत

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना–पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.05.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:52:08 IST
Reason: SelfAttested